बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांकः 279 /भण्डार/2024 भोपाल, दिनांकः 11/03/2024

परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रथम ई–निविदा वर्ष 2024

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर की "सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुली प्रथम ई–निविदा वर्ष 2024" हेतु ऑन–लाईन आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं विस्तृत जानकारी हेतु म.प्र. शासन की वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर लॉग–ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 10,000–00 (दस हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि राशि रूपये 4,50,000–00(रू. चार लाख पचास हजार मात्र) हैं। निविदाएं ऑन–लाईन ही क्रय की जा सकेगी एवं ऑन लाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी।

निविदा का कुल मूल्य लगभग रूपये 1,50,00,000–00 (रू. एक करोड़ पचास लाख मात्र) है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी दोनो वेबसाईट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा जारी करने की तिथि	11/03/2024	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	निविदा प्रपत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि	11/03/2024	
03	निविदा प्रपत्र /अपलोड प्रारंभ होने की तिथि	11/03/2024	
04	प्री–बिड मीटिंग की तिथि	18/03/2024	
05	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	11/03/2024	
06	निविदा प्रस्तुत/अपलोड करने की अंतिम तिथि	03/04/2024	
07	निविदा खोलने की तिथि	04/04/2024	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब–साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

" परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रथम ई–निविदा वर्ष 2024"

भाग–1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

1.1 सभी निविदाकर्ता फर्मो/ऐजेंसियों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने/प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, शर्ते एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिए गए विवरणों को सावधानीपूर्वक पढ़ ले एवं विश्वविद्यालय परिसर के संपूर्ण कार्यस्थल का भ्रमण कर कार्य के संबंध में समस्त जानकारी स्पष्ट प्राप्त कर ले। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1.2 कार्य का परिचयः– बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद मार्ग (एन.एच.–12) पर स्थित है। परिसर का क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ हैं। इस परिसर में प्रशासनिक भवन, विभिन्न शैक्षणिक भवन, छात्रावास, शिक्षक, अधिकार एवं कर्मचारियों के आवास गृह, ज्ञान विज्ञान भवन, खेल परिसर, केन्द्रिय पुस्ताकलय एवं अन्य भवन आदि है। विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु कम से कम 03 सुपरवाईजर, 100 सुरक्षा कर्मियों (तीन पारियों हेतु कुल संभावित संख्या) की सेवाओं के लिए ऑन–लाईन ई–निविदा आमंत्रित की जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार घठाई या बढ़ाई जा सकती है। भूतपूर्व सैनिकों की संख्या न्यूनतम 20 होगी।

1.3 निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब–साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है। निविदाएं ऑन–लाईन ही स्वीकार की जावेगी। निविदाएं ऑफ–लाईन/हार्ड कॉपी में स्वीकार नही की जावेगी।

1.4 परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु खुली ई–निविदा को वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेब–साईट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रू0 1,50,00,000–00 (रू. एक करोड़ पचास लाख मात्र) है।

1.5 निविदा ऑन–लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा जारी करने की तिथि	11/03/2024	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	निविदा प्रपत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि	11/03/2024	
03	निविदा प्रपत्र /अपलोड प्रारंभ होने की तिथि	11/03/2024	
04	प्री–बिड मीटिंग की तिथि	18/03/2024	
05	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	11/03/2024	
06	निविदा प्रस्तुत/अपलोड करने की अंतिम तिथि	03/04/2024	
07	निविदा खोलने की तिथि	04/04/2024	

1.6 यदि निविदा खुलने की दिनांक पर किन्ही अपरिहार्य कारणों से निविदा यदि खोली नहीं जा सकी तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर दोपहर 3:30 बजे खोली जावेगी।

निविदा की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

1.7 **चरण–1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 10,000–00 (दस हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 4,50,000=00 (रू. चार लाख पचास हजार मात्र) हैं। इन्हे ऑन–लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना हैं।

उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को चरण–2 (तकनीकी निविदा) के लिए योग्य माना जायेगा।

1.8 **चरण–2** : तत्पश्चात उपरोक्त चरण 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनिकी निविदा खोली जावेगी। निविदा के भाग–2 में दर्शित प्रपत्र/ दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में योग्य पाए जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

1.9 **चरण–3** : तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को भी ऑन–लाईन ही प्रस्तुत किया जाना हैं।

1.10 चरण–4 : प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन QCBS (Quality And Cost Based Selection) के आधार पर किया जावेगा। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली फर्म को चयनित किया जावेगा। 70 प्रतिशत अंक तकनीकी मूल्यांकन के तथा 30 प्रतिशत अंक वित्तीय निविदा हेतु मूल्यांकन किए जावेंगे। यदि किसी फर्म के पास निविदा में मांगें गए दस्तावेज कम पाए जाते है तो उस फर्म की निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

भाग–2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्ते

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्ते निम्नांकित है इन जानकारियों को निविदा में दिए **प्रपत्र–1** अनुसार शपथ पत्र नोटराईज्ड कराते हुए प्रस्तुत किया जाना है। इसके अभाव में निविदा आवेदन निरस्त कर दी जावेगी। निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित करते हुए **प्रपत्र–क** में सभी प्रविष्ठिया करते हुए संलग्न करना आवश्यक है:–

2.1 वर्तमान में सुरक्षा एजेन्सी के पास 200 सुरक्षाकर्मी होना आवश्यक है। सत्यापित सूची मय ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा आधार क्रमांक संलग्न करें। एजेन्सी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को संख्या का विवरण **प्रपत्र–2** में शपथ पत्र में देवे।

2.2 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–3** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र शपथ पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैद्यता की जानकारी एवं गुमाश्ता पंजीयन अनिवार्य है। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

2.4 सुरक्षा एजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैद्य रजिस्ट्रेशन व वैद्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति सुरक्षा ऐजेन्सी के प्रारंभ से अभी तक के संलग्न करें।)

2.5 कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

2.6 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

2.7 जी.एस.टी. नम्बर की प्रति संलग्न करें।

2.8 आयकर (PAN CARD) कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।

2.9 पिछले तीन ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2020–21, 2021–22, 2022–23) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड करें।

2.10 कंमनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ. कटौत्री का प्रमाण पत्र विगत छैः माह की छाया प्रति संलग्न करें।

2.11 कंमनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी. कटौत्री का प्रमाण पत्र विगत छैः माह की छाया प्रति संलग्न करें।

2.12 कंमनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) जमा के विगत 03 वर्ष के चालान की छाया प्रति संलग्न करें।

2.13 कंपनी में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें।

2.14 सुरक्षा ऐजेन्सी को सुरक्षा व्यवस्था में न्यूनतम पिछले पॉच में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23) सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। इससे कम अनुभव होने पर निविदा मान्य नही की जावेगी। **प्रपत्र–4** अनुसार।

2.15 विगत तीन प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23) में प्रत्येक वर्ष में रू. 4.50 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर सुरक्षा व्यवसाय से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का संलग्न प्रपत्र–5 में तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित बैलेन्सशीट छाया प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य हैं।

2.16 विगत 5 वित्तीय वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23) में से किन्ही 03 वित्तीय वर्ष शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में कम से कम 200 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने को अनुभव एवं कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य है।

2.17 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, के कभी भी ब्लैक लिस्टड नहीं होना चाहिए।

2.18 सुरक्षा ऐजेन्सी अथवा संचालन के विरूद्ध काई उपराधिक प्रकरण लंबित नही होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नही ठहराया गया हो शपथ पत्र संलग्न करे।

2.19 सुरक्षा ऐजन्सी किसी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।

2.20 निविदाकर्ता फर्म **प्रपत्र–6** के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.21 पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।

2.22 निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित विभागों से सत्यापन कराया जा सकेगा दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर निविदा के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है।

2.23 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र तथा निविदा की शर्तो के अनुसार ही स्वीकार की जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों का अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 10,000–00 (दस हजार मात्र) वापसी योग्य नही है।

2.24 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त सुरक्षा कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन 3 माह अवधि में करा कर रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

वित्तीय निविदा भरने के निर्देश :–

2.25 सुरक्षाकर्मियों को श्रमायुक्त म.प्र. द्वारा जारी मजदूरी की न्यूनतम दर पर भुगतान किया जावेगा।

2.26 निविदाकर्ता को वित्तीय निविदा **प्रपत्र–7** में सिर्फ सर्विस चार्ज की दर प्रतिशत में अंकित करना होगा।

2.27 शासन द्वारा समयानुसार लागू किए गए अनिवार्य शुल्क/देनदारी का नियमानुसार भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

2.28 निविदाकर्ता द्वारा शुन्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी। सेवा शुल्क की दर न्यूनतम 3.85 प्रतिशत As Per Rules Of Government Of India Letter No. 06-01-2023 या उससे अधिक

दशमलव के दो अंको तक होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर का सर्विस चार्ज की दर एक ही होना चाहिए।

2.29 निविदाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा शुल्क में समस्त प्रशासकीय/प्रबंधकीय एवं सामग्री संबंधी व्यय भी सम्मिलित रहेंगे। इस बाबत् पृथक से कोई राशि देय नही होगी।

2.30 वित्तीय निविदा **प्रपत्र–7** में कर की दर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। निविदा में सफल फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर फर्म को नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेगा तथा टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

2.31 सुरक्षा फर्म/संस्था/कंपनी/ऐजेन्सी द्वारा समय–समय पर कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी किए गए आदेशों में उल्लेखित दरों के अनुसार ही सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुपरवाईजरों (कुशल श्रेणी) अनुसार भुगतान किया जावेगा।

2.32 सुरक्षा फर्म/संस्था/कंपनी/ऐजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र में मात्र उनके द्वारा मात्र सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकित करना होगा। सर्विस चार्ज कर रहित/जी. एस.टी. हटाकर होना चाहिए।

2.33 विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार तत्समय लागू कलेक्टर दर ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. वीकली रेस्ट का भुगतान एवं अन्य वैधानिक परिलब्धियां जो कि नियमानुसार देय है। उसका भुगतान किया जावेगा मानदेय भुगतान के पूर्व वेतन से ई.पी.एफ. के लिए किए गए कटौत्रा की राशि 10 प्रतिशत के साथ ही निविदाकर्ता शेष राशि शासन के नियमानुसार सम्मिलित करके तथा उसके पश्चात् ही प्रत्येक माह का मानदेय भुगतान किया जावेगा।

2.34 कलेक्टर द्वारा वेतन के जारी किए ओदश पत्र की प्रति शासन की वेबसाईट पर दी गई है। चूंकि उपरोक्त कलेक्टर दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबंध की अवधि में किसी भी समय देय दरें शासन द्वारा मान्य दरों से कम नही होगी इस हेतु अनुबंधकर्ता द्वारा बढ़ी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तद्नुसार भुगतान किया जावेगा।

2.35 सुरक्षा निधि राशि एवं बैंक गारंटी पर किसी भी प्रकार ब्याज देय नही होगा।

2.36 चयनित/प्रदान किए गए सुरक्षाकर्मी की सूची में से ही अनुपस्थित सुरक्षाकर्मी के स्थान पर प्रत्येक शिफ्ट से सुरक्षाकर्मी प्रदान किया जावेगा तथा किसी भी स्थिति में अन्य स्थान पर कार्यरत सुरक्षाकर्मी को निविदाकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में डिप्लाय नही करेगा।

2.37 न्यायलय क्षेत्र भोपाल म.प्र. होगा।

प्रपत्र–क

फर्म को निम्नांकित दस्तावेज स्केन पर ई–निविदा के साथ अपलोड करना है। दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित पर निविदा के साथ अपलोड करना है।

सं.क्र.	दस्तावेज का नाम जिसे निविदा के साथ अपलोड करना है तथा प्रत्येक दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील लगी होना चाहिए	विवरण	पृष्ठ क्रं.	दस्तावेज संलग्न है। हॉ/नही
01	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 10,000=00 (रूपये दस हजार मात्र) हैं ऑन–लाईन जमा की गई राशि।	Bank UTR No. Dt.		
02	सुरक्षा निधि राशि रूपये 4,50,000=00 (रू. चार लाख पचास हजार मात्र) हैं। ऑन–लाईन जमा की गई राशि की रसीद।	Bank UTR No. Dt.		
03	वर्तमान में सुरक्षा एजेन्सी के पास 200 सुरक्षाकर्मी होना आवश्यक है। सत्यापित सूची मय ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा आधार क्रमांक संलग्न करें। एजेन्सी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को संख्या का विवरण **प्रपत्र–2** में शपथ पत्र में देवे।			
04	निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–1** अनुसार शपथ पत्र में चाही गई जानकारी नोटरी से सत्यापित प्रस्तुत करना होगा।			
05	निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–3** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र शपथ पत्र में प्रस्तुत करना होगा।			
06	श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैद्यता की जानकारी एवं गुमाश्ता पंजीयन अनिवार्य है। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)	पजीयन क्रमांक दिनांक :		
07	सुरक्षा एजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैद्य रजिस्ट्रेशन व वैद्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)	पजीयन क्रमांक दिनांक : वैद्यता दिनांकः		
08	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)	पजीयन क्रमांक दिनांक :		
09	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)	पजीयन क्रमांक दिनांक :		

10	सर्विस टैक्स खाता क्रमांक (जी.एस.टी. नम्बर) (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	जी.एस.टी. नम्बर		
11	आयकर (PAN CARD) कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।	आयकर नम्बर		
12	पिछले तीन ऐसेसमेंन्ट वर्ष (2020–21, 2021–22, 2022–23) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड करें।	असेसमेन्ट वर्ष 2020–21 में जमा आयकर राशि रू..........		
		असेसमेन्ट वर्ष 2021–22 में जमा आयकर राशि रू..........		
		असेसमेन्ट वर्ष 2022–23 में जमा आयकर राशि रू..........		
13	कंमनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ. कटौत्री का प्रमाण पत्र विगत छैः माह की छाया प्रति संलग्न करें।			
14	कंमनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी. कटौत्री का प्रमाण पत्र विगत छैः माह की छाया प्रति संलग्न करें।			
15	कंमनी/फर्म में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) जमा के विगत 03 वर्ष के चालान की छाया प्रति संलग्न करें।			
16	कंपनी में कार्यरत सभी 200 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें।			
17	सुरक्षा ऐजेन्सी को सुरक्षा व्यवस्था में न्यूनतम पिछले पॉच में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23) सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। इससे कम अनुभव होने पर निविदा मान्य नही की जावेगी। **<u>प्रपत्र–4</u>** अनुसार।			
18	विगत तीन प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23) में प्रत्येक वर्ष में रू. 4.50 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर सुरक्षा व्यवसाय से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को संलग्न **<u>प्रपत्र–5</u>** में तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य हैं।	वित्तीय वर्ष (2020–21) के टर्न ओवर की राशि रू.........		
		वित्तीय वर्ष (2021–22) के टर्न ओवर की राशि रू.........		
		वित्तीय वर्ष (2022–23) के टर्न ओवर की राशि रू.........		

19	विगत 5 वित्तीय वर्ष (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23) में से किन्ही 03 वित्तीय वर्ष शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में कम से कम 200 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने को अनुभव एवं कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य है।			
20	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, के कभी भी ब्लैक लिस्टड नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।			
21	सुरक्षा ऐजेन्सी अथवा संचालन के विरूद्ध काई उपराधिक प्रकरण लंबित नही होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नही ठहराया गया हो शपथ पत्र संलग्न करे।			
22	सुरक्षा ऐजन्सी किसी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।			
23	निविदाकर्ता फर्म **प्रपत्र–6** के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।			
24	पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।			

भाग–3

निविदा की मूल्यांकन पद्धति

(Quality and Cost based selection)

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो को तकनीकी मूल्यांक में प्राप्त अंको का 70 प्रतिशत अंक का वेटेज तथा 30 प्रतिशत अंक वित्तीय दरों पर निर्धारित किया जावेगा। तकनीकी तथा वित्तीय दरों के योग के अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली फर्म/संस्था/ऐजेन्सी का चयन किया जावेगा। यदि किसी ऐजेन्सी के पास निविदा में मांगे गए दस्तावेज कम पाए जाते है तो वह ऐजेन्सी की निविदा स्वतः ही अमान्य हो जावेगी।

सं.क्रं	निविदा की शर्ते	अधिकतम अंक
01	सुरक्षा ऐजेन्सी का पंजीयन वर्ष पंजीयन प्रमाण पत्र की समस्त प्रतियॉ संलग्न करें।	
	05 वर्ष होने पर तथा 8 वर्ष तक	05
	08 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक	10
	10 वर्ष से अधिक तथा 13 वर्ष तक	15
	13 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक	20
	15 वर्ष से अधिक होने पर	25
02	ऐजेन्सी में कार्यरत (सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाईजर की संख्या	
	200 कर्मी होने पर	10
	201 से प्रत्येक 20 सुरक्षाकर्मी पर 2 अंक	
	501 से अधिक होने पर	35
03	वित्तीय वर्ष (2020–21, 2021–22, 2022–23) में औसत टर्न ओवर सुरक्षा ऐजेन्सी व्यवसाय में	
	रू. 4.50–00 करोड़ से अधिक रू. 7.50–00 करोड़ तक	05
	रू. 7.50–00 करोड़ से अधिक 10–00 करोड़ तक	10
	रू. 10–00 करोड़ से अधिक तथा रू. 12–00 करोड़ तक	15
	रू. 12–00 करोड़ से अधिक तथा रू. 15–00 करोड़ तक	20
	रू. 15–00 करोड़ से अधिक होने पर	30

वित्तीय निविदा के अंक निम्नानुसार दिए जावेगें।

सं.क्रं.	फर्मो से प्राप्त वित्तीय दरें	निर्धारित अंक
01	न्यूनतम दर L1	30
02	न्यूनतम दर L2	20
03	न्यूनतम दर L3, L4......	10

भाग – 3
अन्य कार्य विवरण एवं
सुरक्षा ऐजेन्सी के दायित्व

3.1 निविदा में सफल सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय के साथ 07 दिवस के अन्दर एक अनुबंध संपादित करना होगा।

3.2 यदि निविदा में सफल सुरक्षा ऐजेन्सी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समयावधि मे अनुबन्ध संपादित करने में असफल होती है तो विश्वविद्यालय फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि को जब्त करते हुए फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.3 निविदा में सफल फर्म से अनुबंध संपादित करने के 10 दिवस के अन्दर सुरक्षा ऐजेन्सी को कुल निविदा की 5 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

3.4 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा बैंक गारंटी विश्वविद्यालय में जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सुरक्षा निधि राशि जो निविदा के साथ जमा की गई थी। वह वापस कर दी जावेगी।

3.5 सुरक्षा ऐजेन्सी को सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से आवश्यकतानुसार डंडा मैन/गन मैन सुरक्षाकर्मी मय पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने को अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। गन मैन को स्वयं के स्तर से वैद्य आर्म्स लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.6 सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात करना होगा। नियत स्थानों पर 24 घण्टे एवं अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार 8 घण्टे सुरक्षाकर्मी तैनात करने होगें।

3.7 निविदाकार सुरक्षा ऐजेन्सी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय परिसर में अवांछित व्यक्तियों एवं अनाधिकृत पशुओं का प्रवेश न होने पाए एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

3.8 सुरक्षा ऐजेन्सी का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालय परिसर का दुरुपयोग न हो अनाधिकृत पार्किंग न की जावे तथा बिना अनुमति के परिसर में किसी प्रकार का ठेला या दुकान या अन्य व्यापार न प्रारंभ किए जावे। अनाधिकृत व्यक्ति आदि को भी रोकना होगा।

3.9 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी 8–8 घंटे में परिवर्तन किए जाने की जवाबदरी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी एवं किसी सुरक्षाकर्मी की एक माह में 30 से अधिक ड्यूटी नही होगी।

3.10 सुरक्षाकर्मी की निवास/वर्दी की व्यवस्था सुरक्षा ऐजेन्सी को स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से कोई निवास/वर्दी की व्यवस्था नही की जावेगी।

3.11 सुरक्षा ऐजेन्सी किसी सब ऐजेन्सी से कार्य नही करावाएगी।

3.12 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक हैं। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय के पास कभी भी एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.13 जो निविदा मान्य नही होगी उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

3.14 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

3.15 न्यायालय विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.16 सुरक्षा ऐजेन्सी को भुगतान प्रतिमाह बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर तैयार देयक के आधार पर कार्य का सत्यापन करने के उपरांत किया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन की स्थापना एवं संचालन का व्यय सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा।

3.17 विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ऐजेन्सी को तत्समय लागू दरों के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।

3.18 विश्वविद्यालय द्वारा चयनित सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय में लगाए गए सुरक्षाकर्मियों तथा सुपरवाईजर को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक वेतन भुगतान करना आवश्यक होगा।

3.19 सुरक्षाकर्मियों को किए गए वेतन भुगतान की बैंक खाते में ट्रान्सफर की सूची जिसमें सुरक्षकर्मी का नाम, बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड एवं वेतन की राशि दर्शित हो विश्वविद्यालय में प्रस्तुत देयक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.20 सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान के पश्चात् प्रत्यंक माह की 06 तारीख को विश्वविद्यालय में भुगतान रिअबर्समेन्ट हेतु बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ जी.एस.टी., ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. जमा की रसीद एवं सूची प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.21 सुरक्षाकर्मी कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी।

3.22 कोई भी सुरक्षकर्मी अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर अपनी व्यक्तिगत/सामूहिक समस्या को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगें। यदि सुरक्षाकर्मियों को कोई समस्या है तो वह ऐजेन्सी को ही बताए तद्नुसार विश्वविद्यालय से संबंधित होने पर ही विश्वविद्यालय को अवगत कराएगी। उनकी सेवा से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर वह विश्वविद्यालय प्रशासन से नही मिलेंगे इसके लिए वह ऐजेन्सी से ही संपर्क करेगें।

3.23 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन बायोमेट्रिक पद्यति से भी किया जा सकता है। इस स्थिति में मासिक भुगतान से उपस्थिति के अनुपात में कटोत्रा किया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था असंतोषजनक पाए जाने पर अथवा विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति का अनुबंध की अवधि में नुकसान होने पर ऐसे नुकसान के लिए भारपाई ऐजेन्सी द्वारा जमा धरोहर/सुरक्षा निधि को राज-सात कर तथा अन्य देयकों के भुगतान से कटौत्री की जावेगी। प्रबंधकीय/प्रशासकीय व्यय सुरक्षा ऐजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर करेगी।

3.24 किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय को होगी। निविदाकार तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

3.25 निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न कर्मियों की योग्यता एवं सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता का समय-समय पर विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर धरोहर राशि से शस्ति काटकर निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

3.26 सुरक्षाकर्मियों को परिसर में पान, बीडी, सिगरेट, गुटका, तम्बाकू, शराब एवं नशीले पदार्थो का सेवन वर्जित है।

3.27 निविदा की शर्तो का उल्लंघन अथवा संबंधित सुरक्षाकर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभ्रद व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ऐजेन्सी पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जा सकेगी।

सं.क्रं.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
01	सुरक्षाकर्मी यूनिफार्म में न होने पर	रू. 200–00
02	सुरक्षकर्मी के पास सीटी, डण्डा, टार्च न होने पर	रू. 200–00
03	सुरक्षाकर्मी अनुपस्थित होने पर	रू. 500–00
04	सुरक्षकर्मी के पास आई.डी. कार्ड न होने पर	रू. 200–00
05	सुरपवाईजर के पास मोबाईल फोन न होने पर	रू. 200–00
06	अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर अथवा पान, बीडी, सिगरेट, गुटका, तम्बाकू, एवं नशीले पदार्थ सेवन करने पर	रू. 1000–00 से रू. 10,000–00 तक
07	विश्वविद्यालय परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति	रू. 1000–00 से लेकर नुकसान हुई संपत्ति की वास्तविक राशि तक
08	संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों का न मानने पर	रू. 10,000–00 या निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी।
09	परिसर में चोरी होने पर	क्षति की वास्तविक राशि की क्षतिपूर्ति

3.28 निविदा मान्य होने की स्थिति में निविदाकर्ता को दस कार्य दिवसों के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अनुबंध करना होगा। यह अनुबंध, कार्य ओदश तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कार्यावधि के दौरान एक–एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसे अधिकतम 3 वर्षो तक ही बढ़ाया जा सकेगा।

3.29 विश्वविद्यालय द्वारा चाही गई अमानत राशि एवं अन्य आवश्यक विवरण एवं जानकारियों के अभाव में प्राप्त निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।

3.30 निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

3.31 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.32 यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

3.33 ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सुरक्षा कर्मी की आयु 18 से 50 वर्ष (कार्यावधि) के मध्य होना चाहिए। सैन्य सेवा/ अर्द्ध सैनिक सेवा से सेवा निवृत्त होने वाले सुरक्षाकर्मी की आयु अधिकतम 55 वर्ष मान्य होगी। सुरक्षाकर्मी का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र निविदा मान्य होने पर ऐजेन्सी को संलग्न करना अनिवार्य हैं। तत्पश्चात सुरक्षाकर्मी का एक वर्ष में ऐजेन्सी के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना होगा।

3.34 निविदा मान्य होने पर सुरक्षाकर्मी की जानकारी जैसे – पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री या विशेष ट्रेनिंग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.35 प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन भाग–3 में दर्शित विवरण अनुसार किया जावेगा। यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं को समान अंक प्राप्त होते है तो विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव के आधार पर किसी एक संस्था का चयन किया जावेगा। यह निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी फर्म का दावा या आपत्ति अमान्य होगी।

3.36 सुरक्षाकर्मियों द्वारा पहने जाने वाली यूनिफार्म एवं सुरक्षाकार्य में उपयोग में होने वाली सामग्री विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित होगी एवं इसका प्रबंध सुरक्षा ऐजेन्सी को स्वयं के व्यय पर करना होगा।

3.37 सुरक्षाकर्मियों को भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना सुरक्षा ऐजेन्सी का दायित्व होगा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी नही होगी।

3.38 सुरक्षाकर्मियों के इन्सुरेन्स की जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, सुरक्षाकर्मियों के साथ कोई भी दुर्घटना अथवा नुकसान का जिम्मेदारी नही होगा।

3.39 सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय परिसर में आने जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों, कर्मचारियों, वस्तुओं एवं संपत्ति के संबंध में सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में संधारित करनी होगी। जो प्रतिमाह कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौपी जानी चाहिए।

3.40 सभी सुरक्षाकर्मियों का बॉयोडाटा नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड के साथ सुरक्षा ऐजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौपेगी।

3.41 कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के मांगे जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी अपने रिकार्ड जांच एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगी।

3.42 सुरक्षा ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षाकर्मियों का प्रोविडेन्ट फण्ड एवं अन्य सरचार्ज नियमानुसार जमा करेंगे एवं इनकी सत्यापित प्रति आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे। इसके अभाव में भुगतान की कार्यवाही नही की जावेगी।

3.43 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।

प्रपत्र–1

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 1,000–00 के गैर न्यायिक मुद्रांक / नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरिराईज्ड प्रस्तुत करें)

मैं...पुत्र/पुत्री...उम्र...............................
पता...
....

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि फर्म से संबंधित निम्नांकित जानकारी सत्य है। मैने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्ते मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है।
यदि निविदा एवं शपथ पत्र में प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को निविदा निरस्त करने को अधिकार है एवं सुरक्षा ऐजेन्सी की सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी जब्त करते हुए फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा एवं हमारी फर्म को यह मान्य होगा :–

(1) मैं निविदाकर्ता संस्था ....(फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का ....(एकल स्वामी/ साझेदार /सचांलक /मैनेजर / अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता........... ....है।

(2) निविदा में वर्णित सथी कार्य को संपादित करने के लिए मेरे/मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त है।

(3) वर्तमान में सुरक्षा ऐजेन्सी के पास 200 सुरक्षा सैनिक है। उसकी सत्यापित सूची संलग्न प्रस्तुत है।

(4) संस्था/ऐजेन्सी का श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक.................................दिनांक...एवं वैधता दिनांक ....है।

(5) न्यूनतम 200 सुरक्षा कर्मियों के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें। (लेबर की संख्या:...लेबर लाइसेन्स क्रमांक...जारी दिनांक एवं वैधता दिनांक...है।

(6) संस्था/सुरक्षा ऐजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैद्य रजिस्ट्रेशन क्रमांक .... दिनांक...एवं वैधता दिनांक...है।

(7) कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक..संलग्न है।

(8) फर्म में कार्यरत न्यूनतम 200 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न है। (माह एवं वर्ष का नाम...)

(9) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक.........................दिनांक...है।

(10) फर्म/संस्था का न्यूनतम 200 सुरक्षा कर्मियों ई.एस.आई.सी. कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न है। (माह एवं वर्ष का नाम...)

(11) सर्विस टैक्स खाता क्रमांक (जी.एस.टी. नम्बर)...है।

(12) फर्म/संस्था का न्यूनतम 200 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) जमा कि विगत 06 माह के चालान की छाया प्रति संलग्न है। (माह एवं वर्ष का नाम..)

(13) आयकर नम्बर (Pen Card) ....है।

(14) फर्म का इनकम टैक्स असेसमेन्ट वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न है।

(15) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी प्रपत्र–2 में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

प्रपत्र–2

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान में कार्यरत सुरक्षकर्मी, सुरक्षा सुपरवाईजर, भूतपूर्व सैनिक आदि की जानकारी निम्नानुसार प्रमाणिक है:–
निविदकर्ता फर्म का नाम:..
पता:..

सं.क्रं	सुरक्षाकर्मी का पदनाम	संख्या	कुल वेतन
01	सुरक्षाकमी		
02	सुरक्षा सुपरवाईजर		
03	भूतपूर्व सैनिक		
04	अन्य		
	कुल योग		

सुरक्षाकर्मियों की सूची संलग्न करें। जिसमें नाम, पदनाम, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. तथा आधार नम्बर का उल्लेख हो।

(16) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी प्रपत्र–3 में निम्नानुसार प्रारूप मे अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

निविदाकर्ता फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र

सं.क्रं	विवरण	
01	निविदकर्ता फर्म का नाम	
02	कार्यालयीन पता	
03	फर्म का पंजीयन क्रमांक वैधता तिथि रहित	
04	दूरभाष नम्बर	
05	मोबाईल नम्बर	
06	ई–मेल आई.डी.	

घोषणा–पत्र

मेरे/हमारी संस्था द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम /शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तो के अधीन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते है।

स्थान :..................................

दिनांक :...............................

शपथग्रहीता

नाम :...

पता :...

1. गवाह का नाम एवं पता :..
2. गवाह का नाम एवं पता :...

(17) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी **प्रपत्र–4** में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

प्रपत्र–4

सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में विगत पांच वर्षो के अनुभव की जानकारी:–

निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता :..

सं. क्र.	वित्तीय वर्ष	संस्था का नाम जमा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	सुरक्षाकर्मियों की संख्या	वर्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक			
01	2018–19						
02	2019–20						
03	2020–21						
04	2021–22						
05	2022–23						

(18) विगत 5 वर्षो में से किन्ही 03 वित्तीय वर्ष में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में कम से कम 200 सुरक्षाकर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्य ओदश संलग्न है।

सं.क्रं	वित्तीय वर्ष	सुरक्षाकर्मियों की संख्या	विभाग का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज का पृष्ठ क्रं.
01					
02					
03					
04					
05					

(19) निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही हुई।

(20) निविदाकर्ता फर्म किसी बैंक / संस्था से दिवालिया घोषित नही हुई है।

(21) सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नही है न ही किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय से दोषी नही ठहराया गया है।

(22) पसारा एक्ट के तहत संस्था में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तथा प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र संलग्न है।

(23) हमारी फर्म ऐजेन्सी की जानकारी **<u>प्रपत्र</u>–5** में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

प्रपत्र–5

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स...
पता :...
के विगत तीन वर्षो के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य अर्थात् (संस्था के कार्य) का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है:–

क्रमांक	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंको में)
01	2020–21		
02	2021–22		
03	2022–23		

टीप :– शब्दों एवं अंको में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जाची गई हैं। जिसे प्रशासन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की निविदा शर्तो के अनुसार वांछित शर्ते के रूप में प्रमाणित करा हूँ।

स्थान :...
दिनांक :...

चार्टेड लेखाकार का नाम :..
फर्म का पदमुद्रा :...

(24) हमारी फर्म/ऐजेन्सी की जानकारी **<u>प्रपत्र</u>–6** में निम्नानुसार प्रारूप में अंकित है एवं प्रमाणित एवं सत्य है:–

प्रपत्र–6

घोषणा पत्र
(श्रम कानून के अंतर्गत् न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं...आत्मज...सुरक्षा कार्य के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में निविदाकार हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी संस्था द्वारा यदि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून/नियम/विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

स्थान :.................................
दिनांक :...............................

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :.......................................
पता :.......................................

प्रपत्र–7

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	सुरक्षा संस्था द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्ज की दर अंको में एवं शब्दों में (प्रतिशत में)
1.	**निविदाकर्ता संस्थान का नाम**	
2.	सभी सुरक्षाकर्मियों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज की दर सभी सुपरवाईजरों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज की दर	